

॥ श्रीः ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

७५



॥ श्रीः ॥

# कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्

हिन्दीव्याख्योपेतम्

व्याख्याकारः--

वाचस्पति गैरोला

अध्यक्ष : पाण्डुलिपि-विभाग, हिन्दी संग्रहालय,  
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग



चौरवम्बा विद्याभवन

वाराणसी २२१००१

# विषय-सूची

## ( १ ) विनयाधिकारिक : पहला अधिकरण

| विषय                                               | पृष्ठ |
|----------------------------------------------------|-------|
| प्रकरण और अधिकरण का निरूपण                         | १     |
| १ : विद्या-विषयक विचार : आम्ब्वीक्षकी              | ८     |
| २ : विद्या-विषयक विचार : त्रयी                     | १०    |
| ३ : विद्या-विषयक विचार : वार्ता और दण्डनीति        | १२    |
| ४ : वृद्धजनों की संगति                             | १४    |
| ५ : काम-क्रोधादि छह शत्रुओं का परित्याग            | १६    |
| ६ : साधु स्वभाव राजा की जीवनचर्या                  | १८    |
| ७ : अमात्यों की नियुक्ति                           | २०    |
| ८ : मन्त्री और पुरोहित की नियुक्ति                 | २३    |
| ९ : गुप्त उपायों से अमात्यों के आचरणों की परीक्षा  | २५    |
| १० : गुप्तचरों की नियुक्ति ( स्थायी गुप्तचर )      | २९    |
| ११ : गुप्तचरों की नियुक्ति ( भ्रमणशील गुप्तचर )    | ३२    |
| १२ : अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष की सुरक्षा     | ३७    |
| १३ : शत्रु-देश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को मिलाना      | ४०    |
| १४ : मन्त्राधिकार                                  | ४३    |
| १५ : सन्देश देकर राजदूतों को शत्रुदेश में भेजना    | ४९    |
| १६ : राजपुत्रों से राजा की रक्षा                   | ५३    |
| १७ : नजरबन्द राजकुमार और राजा का पारस्परिक व्यवहार | ५८    |
| १८ : राजा के कार्य-व्यापार                         | ६१    |
| १९ : राज-भवन का निर्माण और राजा के कर्तव्य         | ६५    |
| २० : आत्मरक्षा का प्रबन्ध                          | ६९    |

## ( २ ) अध्यक्षप्रचार : दूसरा अधिकरण

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| १ : जनपदों की स्थापना                                                | ७७ |
| २ : ऊसर भूमि को उपयोगी बनाने का विधान                                | ८२ |
| ३ : दुर्गों का निर्माण                                               | ८५ |
| ४ : दुर्ग से सम्बन्धित राजभवनों तथा नगर के प्रमुख स्थानों का निर्माण | ९१ |
| ५ : कोष-गृह का निर्माण और कोषाध्यक्ष के कर्तव्य                      | ९५ |

| विषय                                                                   | पृष्ठ |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| ६ : समाहर्ता का कर-संग्रह कार्य                                        | ९९    |
| ७ : अक्षपटल में गणनिक के कार्यों का निरूपण                             | १०३   |
| ८ : अध्यक्षों द्वारा गबन किये गये धन की पुनः प्राप्ति                  | १०९   |
| ९ : राजकीय उच्चाधिकारियों के चालचलन की परीक्षा                         | ११४   |
| १० : शासनाधिकार                                                        | ११६   |
| ११ : कोष में रखने योग्य रत्नों की परीक्षा                              | १२५   |
| १२ : खान एवं खनिज पदार्थों की पहिचान और उनके विक्रय की व्यवस्था        | १३६   |
| १३ : अक्षशाला में सुवर्णाध्यक्ष के कार्य                               | १४३   |
| १४ : राजकीय स्वर्णकारों के कर्तव्य                                     | १५०   |
| १५ : कोष्ठागार का अध्यक्ष                                              | १५७   |
| १६ : पण्य का अध्यक्ष                                                   | १६४   |
| १७ : कुप्य का अध्यक्ष                                                  | १६७   |
| १८ : आयुधागार का अध्यक्ष                                               | १७०   |
| १९ : तौल और माप का अध्यक्ष                                             | १७४   |
| २० : देश और काल का मान                                                 | १८०   |
| २१ : शुल्क का अध्यक्ष                                                  | १८५   |
| २२ : कर-वसूली के नियम                                                  | १८९   |
| २३ : सूत-व्यवसाय का अध्यक्ष                                            | १९२   |
| २४ : कृषि-विभाग का अध्यक्ष                                             | १९५   |
| २५ : आवकारी विभाग का अध्यक्ष                                           | २००   |
| २६ : वध-स्थान का अध्यक्ष                                               | २०५   |
| २७ : वेश्यालयों का अध्यक्ष                                             | २०७   |
| २८ : नौकाध्यक्ष                                                        | २१२   |
| २९ : पशुविभाग का अध्यक्ष                                               | २१६   |
| ३० : अश्वविभाग का अध्यक्ष                                              | २२२   |
| ३१ : गजशाला का अध्यक्ष                                                 | २२६   |
| ३२ : हाथियों की श्रेणियाँ तथा उनके कार्य                               | २३२   |
| ३३ : रथसेना तथा पैदल-सेना के अध्यक्षों और सेनापति के कार्यों का निरूपण | २३६   |
| ३४ : मुद्राविभाग और चारागाह विभाग के अध्यक्ष                           | २३९   |
| ३५ : समाहर्ता और गुप्तचरों के कार्यों का निरूपण                        | २४१   |
| ३६ : नागरिक के कार्य                                                   | २४५   |

## ( ३ ) धर्मस्थीय : तीसरा अधिकरण

| विषय                                                                                                                                     | पृष्ठ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| १ : शर्तनामों का लेखन-प्रकार और तत्सम्बन्धी विवादों का निर्णय                                                                            | २५५   |
| २ : विवाह-सम्बन्ध : (१) धर्म-विवाह : स्त्री का धन : स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार : पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार                       | २६१   |
| ३ : विवाह-सम्बन्ध : ( २ ) स्त्री की परिवरिश : कठोर स्त्री के साथ व्यवहार : पति-पत्नी का द्वेष : पति-पत्नी का अतिचार : अतिचार पर प्रतिषेध | २६६   |
| ४ : विवाह-सम्बन्ध : (३) परिणीता का निष्पतन : पर पुरुष का अनुसरण : पुनर्विवाह की स्थिति                                                   | २७०   |
| ५ : दाय-विभाग : उत्तराधिकार का सामान्य नियम                                                                                              | २७५   |
| ६ : दाय-विभाग : पैतृक क्रम से विशेषाधिकार                                                                                                | २७९   |
| ७ : दाय-विभाग : पुत्रक्रम से उत्तराधिकार                                                                                                 | २८२   |
| ८ : वास्तुक : गृह-निर्माण                                                                                                                | २८६   |
| ९ : वास्तुक : मकान बेचना : सीमा-विवाद : खेतों की सीमाएँ : मिश्रित विवाद : कर की छूट                                                      | २८९   |
| १० : वास्तुक : रास्तों का रोकना : गावों का बन्दोबस्त : चारागाहों का प्रबन्ध : सामूहिक कार्यों में शामिल न होने का मुआवजा                 | २९४   |
| ११ : ऋण लेना                                                                                                                             | २९९   |
| १२ : धरोहरसम्बन्धी नियम                                                                                                                  | ३०५   |
| १३ : दास और श्रमिक सम्बन्धी नियम                                                                                                         | ३११   |
| १४ : मजदूरी के नियम और साभीदारी का हिस्सा                                                                                                | ३१६   |
| १५ : क्रय-विक्रय का बयाना                                                                                                                | ३२०   |
| १६ : दान किये हुये धन को न देना; अस्वामि-विक्रय, स्व-स्वामि-सम्बन्ध                                                                      | ३२३   |
| १७ : साहस                                                                                                                                | ३२८   |
| १८ : वाक्पारुष्य                                                                                                                         | ३३१   |
| १९ : दण्डपारुष्य                                                                                                                         | ३३४   |
| २० : द्यूत-समाह्वय और प्रकीर्णक                                                                                                          | ३३९   |

## ( ४ ) कण्टक-शोधन : चौथा अधिकरण

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| १ : शिल्पियों से प्रजा की रक्षा              | ३४५ |
| २ : व्यापारियों से प्रजा की रक्षा            | ३५२ |
| ३ : दैवी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा के उपाय | ३५६ |

| विषय                                                                | पृष्ठ |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ४ : गुप्त षड्यन्त्रकारियों से प्रजा की रक्षा के उपाय                | ३६१   |
| ५ : सिद्धवेषधारी गुप्तचरों द्वारा दुष्टों का दमन                    | ३६४   |
| ६ : शंकित पुरुषों की पहिचान, चोरी के माल की पहिचान और चोर की पहिचान | ३६७   |
| ७ : आशुमृतक की परीक्षा                                              | ३७२   |
| ८ : जाँच और यातना के द्वारा चोरी को अंगीकार करना                    | ३७६   |
| ९ : सरकारी विभागों और छोटे-बड़े कर्मचारियों की निगरानी              | ३८०   |
| १० : एकांग वध अथवा उसकी जगह द्रव्य-दण्ड                             | ३८६   |
| ११ : शुद्धदण्ड और चित्रदण्ड                                         | ३८६   |
| १२ : कुंवारी कन्या से संभोग करने का दण्ड                            | ३८३   |
| १३ : अतिचार का दण्ड                                                 | ३९८   |

### ( ५ ) योग-वृत्त : पाँचवाँ अधिकरण

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| १ : राजद्रोही उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध में दण्ड-व्यवस्था           | ४०५ |
| २ : कोष का अधिकाधिक संग्रह                                          | ४१२ |
| ३ : भृत्यों का भरण-पोषण                                             | ४२० |
| ४ : राजकर्मचारियों का राजा के प्रति व्यवहार                         | ४२५ |
| ५ : व्यवस्था का यथोचित पालन                                         | ४२८ |
| ६ : विपत्तिकाल में राज-पुत्र का अभिषेक और एकछत्र राज्य की प्रतिष्ठा | ४३२ |

### ( ६ ) मण्डल-योनि : छठा अधिकरण

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| १ : प्रकृतियों के गुण | ४४१ |
| २ : शान्ति और उद्योग  | ४४५ |

### ( ७ ) षाड्गुण्य : सातवाँ अधिकरण

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| १ : छह गुणों का उद्देश्य और क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निश्चय                                     | ४५३ |
| २ : बलवान् का आश्रय                                                                              | ४५८ |
| ३ : सम, हीन तथा बलवान् राजाओं के चरित्र और हीन राजा के साथ संबन्ध                                | ४६१ |
| ४ : विग्रह करके आसन और यान का अवलंबन                                                             | ४६६ |
| ५ : यान संबन्धी विचार, प्रकृतिमण्डल के क्षय, लोभ तथा विराग के हेतु और सहयोगी समवायिकों का हिस्सा | ४७० |
| ६ : सामूहिक प्रयाण और देश, काल तथा कार्य के अनुसार संधियाँ                                       | ४७७ |

| विषय                                                                      | पृष्ठ |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| ७ : द्वैधीभाव सम्बन्धी सन्धि और विक्रम                                    | ४८४   |
| ८ : यातव्य सम्बन्धी व्यवहार और अनुग्रह करने वाले मित्रों के प्रति कर्तव्य | ४८९   |
| ९ : मित्र-सन्धि और हिरण्य-सन्धि ( सन्धिविचार १ )                          | ४९३   |
| १० : भूमि-सन्धि ( सन्धि-विचार २ )                                         | ५००   |
| ११ : अनवसित सन्धि ( सन्धि-विचार ३ )                                       | ५०५   |
| १२ : कर्म-सन्धि ( सन्धि-विचार ४ )                                         | ५११   |
| १३ : पार्ष्णिग्राह-चिन्ता                                                 | ५१६   |
| १४ : दुर्बल विजिगीषु के लिये शक्तिसंचय के साधन                            | ५२२   |
| १५ : बलवान् शत्रु और विजित शत्रु के साथ व्यवहार                           | ५२७   |
| १६ : अधीनस्थ राजाओं के प्रति विजेता विजिगीषु का व्यवहार                   | ५३२   |
| १७ : सन्धि-कर्म और सन्धि-मोक्ष                                            | ५३७   |
| १८ : मध्यम, उदासीन और मण्डलचरित                                           | ५४४   |

### ( ८ ) व्यसनाधिकारिक : आठवाँ अधिकरण

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| १ : प्रकृतियों के व्यसन और उनका प्रतीकार | ५५५ |
| २ : राजा और राज्य के व्यसनों पर विचार    | ५६२ |
| ३ : सामान्य पुरुषों के व्यसन             | ५६६ |
| ४ : पीडनवर्ग, स्तम्भवर्ग और कोपसङ्गवर्ग  | ५७३ |
| ५ : सेना-व्यसन और मित्र-व्यसन            | ५८१ |

### ( ९ ) अभियास्यत्कर्म : नौवाँ अधिकरण

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| १ : शक्ति, देश, काल, बल-अवल का ज्ञान और आक्रमण का समय                                                 | ५८९ |
| २ : सैन्य-संग्रह का समय, सैन्य-संगठन और शत्रुसेना से मुकाबला                                          | ५९५ |
| ३ : पश्चात्कोपचिन्ता और बाह्याभ्यन्तर प्रकृति के कोप का प्रतीकार                                      | ६०२ |
| ४ : क्षय, व्यय और लाभ का विचार                                                                        | ६०६ |
| ५ : बाह्य और आभ्यन्तर आपत्तियाँ                                                                       | ६१३ |
| ६ : राजद्रोही और शत्रुजन्य आपत्तियाँ                                                                  | ६१७ |
| ७ : अर्थ, अनर्थ तथा संशय सम्बन्धी आपत्तियाँ और उनके प्रतीकार के उपायों से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ | ६२५ |

### ( १० ) साङ्ग्रामिक : दसवाँ अधिकरण

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| १ : छावनी का निर्माण                                                           | ६३७ |
| २ : छावनी-प्रयाण और आपत्ति एवं आक्रमण के समय सेना की रक्षा                     | ६४० |
| ३ : कूट-युद्ध के भेद : अपनी सेना का प्रोत्साहन और अपनी तथा पराई सेना का प्रयोग | ६४४ |

| विषय                                                                                                                                    | पृष्ठ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ४ : युद्धयोग्य भूमि और पदाति, अश्व, रथ तथा हाथी आदि सेनाओं के कार्य                                                                     | ६५१   |
| ५ : पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि विशेष व्यूहों का सेना के परिणाम के अनुसार व्यूह विभाग, सार तथा फलगु बलों का विभाग और चतुरङ्ग सेना का युद्ध | ६५५   |
| ६ : प्रकृतिव्यूह, विकृतिव्यूह और प्रतिव्यूह की रचना                                                                                     | ६६२   |
| ( ११ ) वृत्तसंघ : ग्यारहवाँ अधिकरण                                                                                                      |       |
| १ : भेदक प्रयोग और उपांशुदण्ड                                                                                                           | ६६९   |
| ( १२ ) आबलीयस : बारहवाँ अधिकरण                                                                                                          |       |
| १ : दूतकर्म                                                                                                                             | ६७९   |
| २ : मन्त्र-युद्ध                                                                                                                        | ६८३   |
| ३ : सेनापतियों का वध और राजमण्डल की सहायता                                                                                              | ६८८   |
| ४ : शस्त्र, अग्नि तथा रसों का गूढ़ प्रयोग और वीवध, आसार तथा प्रसार का नाश                                                               | ६९२   |
| ५ : कपट उपायों या दण्ड-प्रयोगों द्वारा और आक्रमण के द्वारा विजयोपलब्धि                                                                  | ६९६   |
| ( १३ ) दुर्गलम्भोपाय : तेरहवाँ अधिकरण                                                                                                   |       |
| १ : उपजाप                                                                                                                               | ७०५   |
| २ : कपट उपायों द्वारा राजा को लुभाना                                                                                                    | ७०६   |
| ३ : गुप्तचरों का शत्रु-देश में निवास                                                                                                    | ७१५   |
| ४ : शत्रु के दुर्ग को घेरकर अपने अधिकार में करना                                                                                        | ७२२   |
| ५ : विजित देश में शान्ति की स्थापना                                                                                                     | ७३१   |
| ( १४ ) औपनिषादिक : चौदहवाँ अधिकरण                                                                                                       |       |
| १ : शत्रु-वध के प्रयोग                                                                                                                  | ७३७   |
| २ : प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन                                                                                                     | ७४४   |
| ३ : प्रलम्भन योग में औषधि तथा मन्त्र का प्रयोग                                                                                          | ७५१   |
| ४ : शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों का प्रतीकार                                                                                     | ७६०   |
| ( १५ ) तन्त्रयुक्ति : पन्द्रहवाँ अधिकरण                                                                                                 |       |
| १ : अर्थशास्त्र की युक्तियाँ                                                                                                            | ७६५   |
| चाणक्य-सूत्र                                                                                                                            | ७७५   |
| पारिभाषिक शब्दकोश                                                                                                                       | ८०१   |
| शब्द-सूची                                                                                                                               | ८१७   |